**राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरकाघाट, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।**

**अवधि 04/2012 से 03/2014**

**भाग—एक**

1. **प्रारम्भिक :—**

**(क)** अंकेक्षण अवधि के दौरान राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरकाघाट में निम्न प्राचार्य द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया :—

| क्र0 सं0 | प्राचार्य का नाम | कार्यकाल अवधि |
|---|---|---|
| (1) | श्री रतन चन्द कौशल | 01.04.2012 से 3103.2014 |

**(ख)** **गम्भीर अनियमितताओं का सार :—**

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरकाघाट जिला मण्डी के अंकेक्षण अवधि 04/2012 से 03/2014 के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्नलिखित है :—

| क्र0 सं0 | पैरा सं0 | विवरण | राशि (₹) लाख में |
|---|---|---|---|
| (1) | 8 | मिश्रित निधि से बिजली बिलों, टैलिफोन बिलों, डाक टिकटों का भुगतान बारे। | 2.76 |
| (2) | 7 | तबला प्रशिक्षक को समिश्रित निधि से भुगतान बारे। | 0.87 |
| (3) | 12(क) | महाविद्यालय छात्रावास में प्रवेश शुल्क राशि को सरकारी कोष में कम जमा करवाया जाना | 0.49 |
| (4) | 11 | मश्रित निधि से छात्रावास हेतु किया गया अनियमित भुगतान बारे। | 0.46 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (5) | 10 | मश्रित नधि से छात्रावास हेतु रास्ता निर्माण हेतु किया गया व्यय। | 0.25 |
| (6) | 5(ख) | सावधि जमा राशियों पर बैंकों द्वारा कम ब्याज दिये जाने बारे। | 0.14 |
| (7) | 9 | निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज आय को सरकारी कोष में कम जमा करवाया जाना | 0.13 |
| (8) | 6 | मिश्रित निधि से दैनिक भोगियों को अधिक भुगतान बारे। | 0.12 |

**(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–**

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरकाघाट द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः महाविद्यालय द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके। गत प्रतिवेदनों के पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण परिशिष्ट (i) पर दिया गया है।

## भाग दो

**2. वर्तमान अंकेक्षणः–**

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरकाघाट के अवधि 04/2012 से 03/2014 के निधि लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, श्री तारा चन्द महन्त, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री पुनीत कुमार (आर्टीकल सहायक) द्वारा दिनांक 16.02.2015 से 02.03.2015 के दौरान सरकाघाट में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु लेखा में क्रमशः माह 11/2012, 10/2013 व माह 11/2012, 12/2013 का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया।

अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरकाघाट द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा वभिाग उक्त महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण पाई गई अनियमितता के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3. <u>अंकेक्षण शुल्कः</u>—

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1—459/92—फिन (एल0ए0)—Vol-I-6621, दिनांक 01.11.2014 के अनुसार महाविद्यालय के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2014 तक के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹16,000/— (8000 X 2 वर्ष) बनता है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला—171009 को भेजने के लिए सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्याः ए0सी0 ऑडिट 479, दिनांक 02.03.2015 द्वाा प्राचाग्र राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट से अनुरोध किया गया। महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि ₹16,000/— का भुगतान निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला—09 को पंजाब नैश्नल बैंक शाखा सरकाघाट (बरछवाड़) के बैंक ड्राफ्ट संख्या5 178609, दिनांक 04.03.2015 द्वारा किया गया।

4. <u>वित्तीय स्थिति</u> :—

**महाविद्यालय छात्र निधि लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2014 की संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :—**

| वर्ष 2012—2013 | | |
|---|---|---|
| (i) | दिनांक 01.04.2012 को रोकड बही का प्रारम्भिक शेषः | ₹95,22,256.90 |

| | | |
|---|---|---|
| (ii) | आय वर्ष 2012—13 | ₹29,94,547.00 |
| (iii) | ब्चत खाते में वर्ष 2012—13 मे अर्जित ब्याज | ₹1,21,932.00 |
| (iv) | कुल आय | **₹1,26,38,735.00** |
| (v) | वर्ष 2012—13 में किया गया भुगतान | ₹22,86,509.00 |
| (vi) | अन्तशेष राशि दिनांक 31.03.2013 | **₹1,03,52,226.90** |
| | **वर्ष 2013—14** | |
| (i) | रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 0.04.2013 को गत शेषः | ₹1,03,52,226.90 |
| (ii) | आय वर्ष 2013—14 | ₹34,34,032.00 |
| (iii) | बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2012 तक बचत खातों तथा सावधि जमा योजना में क्रैडिट किया गया ब्याज जो रोकड़ बही में वर्ष 2013—14 में दर्ज किया गया (अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/2006 से 03/2012) पैरा 4(घ) में सन्दर्भित | ₹19,19,143.00 |
| (iv) | सावधि जमा योजना में बैंक द्वारा क्रैडिट किया गया ब्याज परन्तु रोकड़ बही में प्रविष्टि दर्ज नहीं थी | ₹5,87,294.00 |
| (v) | बचत खाते में वर्ष 2013—14 में अर्जित ब्याज | ₹1,94,391.00 |
| (vi) | कुल आय | ₹1,64,87,086.00 |
| (vii) | वर्ष 2013—14 में किया गया व्यय | ₹22,47,413.00 |
| (viii) | दिनांक 31.03.2014 को अन्तशेष | **₹1,42,39,673.90** |
| | **(बैंक समाधान विवरण)** | |
| (i) | दिनांक 31.03.2014 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेषः | **₹1,42,39,673.90** |
| (ii) | दिनांक 31.03.2014 को बैंक बचत खाता संख्याः 00003769 में जमा राशि | ₹15,21,761.20 |
| (iii) | दिनांक 31.03.2014 को सावधि जमा योजना में | ₹1,27,20,181.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | निवेशित राशि | |
| (iv) | समिश्रित निधि लेखे की राशि जो महाविद्यालय द्वारा गलती से भवन निधि लेखे में जमा की गई | ₹54,870.00 |
| (v) | कुल राशि | ₹1,42,96,812.20 |
| (vi) | रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष | ₹1,42,39,673.90 |
| (vii) | अन्तर | ₹57,138.30 |
| (viii) | दिनांक 31.03.2014 को रोकड़ बही में दर्ज व्यय के चैक परन्तु बैंक से भुनाये नहीं गये। | (–) ₹28,339.00 |
| (ix) | अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 03/2012 तक बैंक समाधान विवरण का शुद्ध अन्तर | (–) ₹9,105.00 |
| | **शुद्ध अन्तर** | **₹19,694.30** |
| (x) | **टिप्पणीः**<br>**महाविद्यालय राशि ₹19,694.30 जो कि बैंक समाधान विवरणी का शुद्ध अन्तर है, अपने स्तर पर जांच करके इस अन्तर का मिलान रोकड बही व बेंक की विस्तृत जांच करके सुनिश्चित करें, तथा मिश्रित निधि की राशि जो महाविद्यालय द्वारा गलती से भवन निधि में जमा की गई है को हस्तांतरित करके मिश्रित निधि लेखे में जमा करवाई जानी सुनिश्चित करें।** | |
| (i) | दिनांक 31.03.2014 को रोकड़ बही में दर्ज व्यय के चैक परन्तु बेंक से भुनाये नहीं गये का विवरण निम्नलिखित है :– | |

| | **क्र0सं0** | **माह/वर्ष** | **चैक सं0** | **राशि (₹)** |
|---|---|---|---|---|
| | (1) | 9/2013 | 529684 | ₹25,000.00 |
| | (2) | 3/2014 | 529956 | ₹1,259.00 |
| | (3) | 3/2014 | 529957 | ₹1,680.00 |
| | (4) | 3/2014 | 529969 | ₹400.00 |
| | | | | **₹28,339.00** |

| (ii) | समिश्रित निधि लेखे की राशि जो गलती से महाविद्यालय द्वारा भवन निधि लेखे में जमा की गई का विवरण निम्नलिखित है :– | | |
|---|---|---|---|
| | **क्र0 सं0** | **माह／वर्ष** | **राशि (₹)** |
| | (1) | 5／2012 | **₹1,000.00** |
| | (2) | 6／2012 | ₹44,020.00 |
| | (3) | 7／2012 | ₹8,320.00 |
| | (4) | 8／2012 | ₹1,530.00 |
| | | **योग राशि (₹)** | **₹54,870.00** |

**5. निवेश :–**

(क) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरकाघाट के निधि लेखाओं के सावधि जमा खातों में दिनांक **31.03.2014** तक निवेशित राशि **₹1,27,20181** / – का विवरण :–

| क्र0 सं0 | एफ0डी0आर नं0 | निवेषित दिनांक | निवेषित राशि | ब्याज दर (%) | अवधि | परिपक्वता राशि | बैंक शाखा नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 2602 | 29.12.2012 | 288,265 | 8.75% | 3 वर्ष | 3,73,736 | पंजाब नैश्नल बेंक बरछवाड़ शाखा सरकाघाट |
| (2) | 2702 | 28.12.2012 | 2,91,687 | 8.75% | 3 वर्ष | 3,72,173 | –यथोपरि– |
| (3) | 2802 | 28.12.2012 | 2,88,265 | 8.75% | 3 वर्ष | 3,73,736 | –यथोपरि– |
| (4) | 2902 | 28.12.2012 | 2,86,013 | 8.75% | 3 वर्ष | 3,70,817 | –यथोपरि– |
| (5) | 776452 | 06.01.2013 | 12,180 | 7% | 33 माह | 15,453 | –यथोपरि– |
| (6) | 720 | 25.03.2014 | 15,53,771 | 9.05% | 18 माह | 17,79,192 | –यथोपरि– |
| (7) | 2759 | 12.11.2013 | 50,00,000 | 9% | 1 वर्ष | 54,65,417 | –यथोपरि– |
| (8) | 2768 | 12.11.2013 | 50,00,000 | 9% | 1 वर्ष | 24,65,417 | –यथोपरि– |
| | | | **₹1,27,20,181** | | | | |

5. (ख) **सावधि जमा खाते से ब्याज की राशि ₹14,375/– की कम वसूली** :–

सावधि जमा खातों की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार सावधि जमा खातों पर देय ब्याज की गणना न होने के कारण राशि ₹14,375/– के ब्याज की कम वसूली की गई प्रतीत होती है।

| एफ0डी0 आर नं0 | निवेषित दिनांक | निवेषित राशि | परिपक्वता की तिथि | ब्याज दर (%) | परिपक्वता पर अपेक्षित राशि | प्राप्त राशि | अन्तर की राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2602 | 28.12.2009 | 2,34,889 | 28.12.12 | 7% | 2,89,252 | 2,88,265 | 987 |
| 2702 | 28.12.2009 | 2,37,677 | 28.12.12 | 7% | 2,92,684 | 2,91,687 | 998 |
| 2802 | 28.12.2009 | 2,34,889 | 28.12.12 | 7% | 2,89,252 | 2,88,265 | 987 |
| 2932 | 28.12.2009 | 2,33,053 | 28.12.12 | 7% | 2,86,911 | 2,86,013 | 978 |
| 0720 | 14.03.2011 | 1,20,000 | 17.029.12 | 9.05% | 13,72,397 | 13,61,972 | 10,425 |
| | | | | | | **कुल राशि** | **₹14,375** |

अतः संस्था स्तर पर ब्याज की देय राशि की पुनः जांच करने के पश्चात उपरोक्त ₹14,375/– की वसूली सम्बन्धित बैंक से करके सम्बन्धित छात्र निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

6. **समिश्रित निधि से दैनिक वेतन भोगियों को राशि ₹12,340/– का अनियमित भुगतान :–**

महाविद्यालय सरकाघाट द्वारा समिश्रित निधि से मस्ट्रोल पर दैनिक वेतन भोगी खेल चपड़ासी (Sports Peon), माली व तबला वादक को अप्रैल 2012 से मार्च 2014 तक किए गए भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि इन्हें परिशिष्ट (iii) में दर्शाए गए दिवसों के लिए भुगतान किया गया जबकि नियमानुसार दैनिक वेतन भोगी को छः कार्य दिवसों के उपरान्त ही (Parol Holiday) दिया जाता है। अतः इन्हें नियमों के विपरीत छः कार्य दिवस से पहले ही Parol Holiday की राशि ₹1,234/– का भुगतान किया गया है। उक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्याः ए0सी0 ऑडिट (एल0ए0डी0)(वित्त)–478, दिनांक 24.02.2015 द्वारा प्रचाग्र के ध्यान में लाया गया लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक अनियमित भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की गई। अतः अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि की वसूली करके मिश्रित निधि में जमा करना सुनिश्चित करें।

7. **श्री मनोज कुमार तबला प्रशिक्षक (Tabla Instructor) को समिश्रित निधि से ₹87,248/– का भुगतान बारे :–**

युनिवर्सिटी अध्यादेश चैप्टर–XLII के नियम 42.3 (viii) में दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत महाविद्यालय में प्रधानाचार्य को शिक्षक व गैर शिक्षक वर्ग को तीन महीनों तक अस्थाई तौर पर रखने की शक्तियों प्रदान की गई हैं। परन्तु उपरोक्त दिशा–निर्देशों के विपरीत श्री मनोज कुमार तबला प्रशिक्षक को निम्नानुसार माह वार समिश्रित निधि से भुगतान किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुये भुगतान की गई राशि की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करें व भविष्य में दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

| माह | भुगतान की राशि |
|---|---|
| 4 / 2012 | 3,850 / — |
| 5 / 2012 | 3,080 / — |
| 6 / 2012 | — |
| 7 / 2012 | 3,542 / — |
| 8 / 2012 | 4,158 / — |
| 9 / 2012 | 5,376 / — |
| 10 / 2012 | 5,184 / — |
| 11 / 2012 | 4,608 / — |
| 12 / 2012 | 5,760 / — |
| 1 / 2013 | — |
| 02 / 2013 | 5,376 / — |
| 03 / 2013 | 5,952 / — |
| 07 / 2013 | 1,920 / — |
| 08 / 2013 | 5,952 / — |
| 09 / 2013 | 5,760 / — |
| 10 / 2013 | 4,800 / — |
| 11 / 2013 | 4,650 / — |
| 12 / 2013 | 5,952 / — |
| 01 / 2014 | — |

| | |
|---|---|
| 02/2014 | 5,376/– |
| 03/2014 | 5,952/– |
| **कुल राशि** | **₹87,248/–** |

**8. समिश्रित निधि से कार्यालय बिजली, टेलिफोन बिलों तथा डाक टिकटों पर राशि ₹2.76 लाख का अनियमित व्यय :–**

जांच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा निम्न विवरणानुसार समिश्रित निधि से कार्याल बिजली, टैलिफोन बिलों व डाक टिकटों पर राशि ₹2,76,738/– का भुगतान किया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 1973 खण्ड के अध्यय 42.2 के नियमों के विपरीत है। अतः नियमों के विपरीत किये गये व्यय का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति/वसूली उचित स्त्रोत से करके समिश्रित निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

| क्र0 सं0 | दिनांक | वाऊचर नम्बर | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| (1)बिजली बिल :– | | | |
| (1) | 25.04.2012 | 83 | 725.00 |
| (2) | 25.04.2012 | P-V-81 | 6,222.00 |
| (3) | 17.07.2012 | 116 | 85,902.00 |
| (4) | 06.11.2012 | 196 | 19,000.00 |
| (5) | 22.02.2013 | 283 | 9,050.00 |
| (6) | 21.03.2013 | 308 | 13,499.00 |
| (7) | 15.07.2013 | P-V-30 | 29,596.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (8) | 17.08.2013 | P-V-49 | 18,226.00 |
| (9) | 19.10.2013 | 87 | 18,040.00 |
| (10) | 19.12.2013 | P-V-123 | 16,691.00 |
| (11) | 22.02.2014 | P-V-168 | 32,170.00 |
| | | कुल योग | **₹2,49,121.00** |
| **(2)कार्यालय टैलिफोन :–** | | | |
| (1) | 03.04.2012 | 84 | 1,025.00 |
| (2) | 02.06.2012 | 102 | 2,000.00 |
| (3) | 0.01.2013 | 260 | 1,188.00 |
| (4) | 16.04.2013 | 341 | 6,954.00 |
| (5) | 19.10.2013 | 86 | 989.00 |
| (6) | 19.12.2013 | P-V-124 | 1,231.00 |
| (7) | 19.02.2014 | -- | 4,230.00 |
| **(2) डाक टिकट कार्यालय :–** | | | |
| (1) | 31.10.2012 | 184 | 5,000.00 |
| (2) | 0.07.2013 | -- | 5,000.00 |
| | | योग | **₹27,617.00** |
| | | कुल योग | **₹2,76,738.00** |

## 9. प्राप्त शुल्क की राशि ₹13,375/– को सरकारी कोष में कम जमा/जमा न करना :–

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरकाघाट के अवधि 04/2012 से 03/2014 तक के निधि संग्रह रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित शुल्कों की राशियों को सरकारी कोष (ट्रेज़री) में कम जमा/जमा नहीं करवाया गया। अतः महाविद्यालय द्वारा छात्रों से वसूल की गई फीस की राशि ₹13,375/– को सरकारी कोष में कम जमा/जमा न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा उक्त राशि को तुरन्त सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

| क्र0 सं0 | दिनांक | रसीद विवरण | मद का नाम | प्राप्त राशि (₹) | सरकारी कोष में जमा राशि (₹) | कम जमा राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 09.08.12 | 7804 | पुनः प्रवेश शुल्क | 100 | – | 100 |
| (2) | 16.11.12 | 8256 से 8379 | टयूशन फीस | 9,450 | 9,000 | 450 |
| (3) | 19.11.12 | 8380 से 8989 | प्रवेश शुल्क व टयूशन फीस | 8,550 | 7,650 | 900 |
| (4) | 21.11.12 | 9286 से 9289 | पुनः प्रवेश शुल्क | 400 | – | 400 |
| (5) | 10.12.12 | 9374 | पुनःप्रवेश शुल्क | 100 | – | 100 |
| (6) | 11.12.12 | 9376 से 9377 | टयूशन फीस | 450 | – | 450 |
| (7) | 06.03.12 | 9394 | पुनः प्रवेश | 100 | – | 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | शुल्क | | | |
| (8) | 20.07.12 | 2943 | प्रवेश शुल्क | 25 | — | 25 |
| (9) | 08.12.12 | 3447 से 3450 | टयूशन फीस | 900 | — | 900 |
| (10) | 10.12.12 | 3551 से 3554 | टयूशन फीस | 900 | — | 900 |
| (11) | 11.12.12 | 3555 | टयूशन फीस | 450 | — | 450 |
| (12) | 13.12.13 | 11575 | पुनः प्रवेश शुल्क | 100 | — | 100 |
| (13) | 23.12.13 | 11579 से 11581 | —यथोपरि— | 200 | — | 200 |
| (14) | 10.02.14 | 4289 से 4347 | टयूशन फीस | 6,000 | — | 6,000 |
| (15) | 13.02.14 | 4348 से4360 | —यथोपरि— | 1,200 | — | 1,200 |
| (16) | 19.02.14 | 4364 से 4365 | —यथोपरि— | 300 | — | 300 |
| (17) | 20.02.14 | 4366 से 4368 | —यथोपरि— | 600 | — | 600 |
| (18) | 06.03.14 | 11990 से 12098 | पुनः प्रवेश शुल्क | 100 | — | 100 |
| (19) | 29.03.14 | 12583 | —यथोपरि— | 100 | — | 100 |
| | | | | **कुल कम जमा राशि** | | **₹13,375** |

**10.** **छात्रावास शुल्क की राशि ₹49,570/— को सरकारी कोष में कम जमा करना:—**

अवधि 04/2012 से 03/2014 के दौरान प्राप्त छात्रावास शुल्क की जाँ करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार छात्रावास शुल्क की राशि ₹75,840.00 प्राप्त की गई :—

| (1) | क्र0 सं0 | वर्ष | छात्रावास में छात्राओं की संख्या | छात्रावास प्रवेश शुल्क राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| | (1) | 2011—12 | 23 नम्बर | ₹40 प्रतिमाह 40X12 माह = 480<br>480 X 23 = 11,040.00 |
| | (2) | 2012—13 | 71 नम्बर | 480 X 71 = 34,080.00 |
| | (3) | 2013—14 | 64 नम्बर | 480 X 64 = 30,720.00 |
| | | | **कुल प्राप्त राशि** | ₹75,840.00 |

उक्त प्राप्त राशि ₹75,840/— में से महाविद्यालय द्वारा दिनांक 01.04.12 से 31.03.2014 तक राशि ₹26,270/— को निम्न विवरणानुसार सरकारी कोष में जमा करवाया गया :—

| क्र0 सं0 | दिनांक | चालान नम्बर | जमा करवाई गई राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| (1) | 20.07.2013 | 15 | 9,620.00 |
| (2) | 25.07.2013 | 28 | 1,480.00 |
| (3) | 28.07.2013 | 33 | 3,700.00 |
| (4) | 30.07.2013 | 03 | 2,530.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (5) | 06.08.2013 | 02 | 2,280.00 |
| (6) | 07.08.2013 | 03 | 1,480.00 |
| (7) | 22.08.2013 | 07 | 1,110.00 |
| (8) | 27.08.2013 | 17 | 370.00 |
| (9) | 29.08.2013 | 03 | 740.00 |
| (10) | 04.09.2013 | 01 | 1,110.00 |
| (11) | 09.09.2013 | 01 | 1,110.00 |
| (12) | 10.09.2013 | 01 | 740.00 |
| (13) | 13.09.2013 | 01 | 740.00 |
| | | **कुल जमा राशि** | **₹26,270.00** |

इस प्रकार छात्रावास प्रवेश शुल्क की राशि ₹49,750.00 को सरकारी कोष में कम जमा करवाया गया। अतः छात्रावास प्रवेश शुल्क को सरकारी कोष में कम जमा करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए राशि ₹49,750/– को सरकारी कोष में जमा करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त छात्रावास से सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख तैयार नहीं किया गया था जिसे तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

**11 वाऊचर संख्याः P-V-6 दिनांक 24.04.2013, राशि ₹19,000/–बारे :–**

उपरोक्त वाऊचर द्वारा मिश्रित निधि से राशि ₹19,000/– का भुगतान राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रतयांयन परिषद (NAAC) की टीम को महाविद्यालय

निरीक्षण हेतु चण्डीगढ़ से सरकाघाट लाने हेतु गाडी के किराय के रूप में किया गया था जो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रामि अध्यादेश 1973 खण्ड के अध्याय 42.2 के नियमों के अनुकूल नहीं पाया गया। अतः नियम विपरीत व्यय करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा इस राशि के व्यय का नियमितिकरण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके करवाया जाये अन्यथा राशि की प्रतिपूर्ति/वसूली उचित स्त्रोत से करके मिश्रित निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

**12 (क) <u>महाविद्यालय द्वारा पत्रिकाओं को खरीदने हेतु वार्षिक अंशदान (Subscription Fee) भेजने के उपरान्त पत्रिकाओं को प्राप्त न करना</u> :–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय पत्रिकाओं की खरीद हेतु वार्षिक अंशदान का भुगतान (Annual subscription fees) का भुगतान सबसक्रीप्शन सैन्टर सोल हाऊसिंग बोर्ड कलौनी अहमदाबाद–380063 को किया गया परन्तु निम्न उल्लेखित पत्रिकाओं को प्राप्त नहीं किया गया है जिन्हें प्राप्त करें व अनुपालना से अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवायें।

(i) ₹1,800/– का भुगतान बैंक ड्राफ्ट संख्याः 614300, दिनांक 01.01.2014 के अनतर्गत छः मासिक (Six Monthly) संस्करण पुस्तकालय प्रबन्ध (Library Management) की खरीद हेतु अंशदान की राशि जमा की गई। सम्बन्धित अभिलेख की जाँच के दौरान यह पाया गया कि उक्त पत्रिका का केवल माह जनवरी, 2014 से जून, 2014 तक का ही संस्करण प्राप्त किया गया है व जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक का संस्करण आज दिनांक तक प्राप्त नहीं किया गया है जिसे प्रापत करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(ii) ₹1,000/– का भुगतान त्रैमासिक पत्रिका इक्नोमिक चैलेन्जर (Economic Challengar) खरीदने हेतु किया गया। उपरोक्त पत्रिका के केवल

दो त्रैमासिक संस्करण माह जून, 2014 तक ही प्राप्त किये गये हैं। शेष दो संस्करण माह जुलाई से सितम्बर व अक्तूबर से दिसम्बर, 2014 तक प्राप्त नहीं किया गया है। अतः शेष पत्रिकाओं को प्राप्त करने के पश्चात अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवायें।

**(ख)** ₹2,875/– की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट संख्याः 614299, दिनांक 01.01.14 द्वारा नैश्नल ज्योग्राफी पत्रिका हेतु किया गया है परन्तु यह पत्रिका प्राप्त नहीं की गई है। अंकेक्षण में बताया गया है कि उक्त अंशदान फीस को पत्रिका (Refund) प्राप्त किया गया है। परन्तु ₹2,875/– समिश्रित निधि को किस तिथि को जमा की गई का अभिलेख अंकेक्षण को नहीं दर्शाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाना सुनिश्चित करें।

**13. <u>खिलाडियों को स्पोर्टस किटों की रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे</u> :–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा खिलाडियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं के दौरान रियायती दरों/50 प्रतिशत छूट पर स्पोर्टस किटें निमनानुसार जारी की गई हैं परन्तु जिन विद्यार्थियों/खिलाड़ियों को रियायती दरों पर स्पोर्टस किटें जारी की गई की पावती अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

| **बिल सं0** | **दिनांक** | **स्पोर्टस किट की कुल लागत** | **50% छूट पर जारी करने के पश्चात प्राप्त राशि** | **जिससे खरीदी गई।** |
|---|---|---|---|---|
| 6693 | 16.09.13 | 1925 | 963 | मै0 सिटी सेल शिमला |
| – | 27.09.13 | 3300 (Women) | 1650 | –यथोपरि– |
| 6693 | 16.09.13 | 1650 | 825 | –यथोपरि– |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5885 | 27.09.13 | 2670 (men) | 1335 | –यथोपरि– |
| 5885 | 27.09.13 | 2670 (Women) | 1335 | –यथोपरि– |

खिलाड़ियों को स्पोर्टस किटों को जारी करने से सम्बन्धित उनकी पावती आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जानी सुनिश्चित की जाये।

**14. वर्तमान शैक्षणिक सत्र में शेष बचे प्रविवरणों की आगामी सत्र में बिक्री न करने के कारण ₹3,120/– की हानि :–**

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र के प्रविवरणों की कुछ प्रतियां स्टॉक में शेष थी। इन शेष बचे प्रविवरणों को शैक्षणिक सत्र में अपलिखित नहीं किया था, जिससे स्पष्ट है कि प्रविवरण अप्रचलित नहीं थे तथा न ही इन शेष बचे प्रविवरणों को अगले सत्र में अग्रनित किया गया था। यदि शेष बचे प्रविवरणों की प्रतियों को अगले शैक्षणिक सत्रों में अग्रनित करके इनका विक्रय किया जाता तो संसीा को ₹3,120/– की आय हो सकती थी।

| शैक्षणिक सत्र | मात्रा | दर | राशि (₹) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | 104 | 30 | 3,120/– | शेष बचे |

अतः उक्त शेष बचे प्रविवरणों को अगले शैक्षणिक सत्र में अग्रेषित न करने एवं विक्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹3,120/– की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**15.** **महाविद्यालय पुस्तकालय से छात्रों को जारी पुस्तकों के रजिस्टर का रख–रखाव न करने बारे** :–

जांच में पाया गया कि अवधि 2012–13 व 2013–14 सत्र के दौरान पुस्तकालय से छात्रों को पुस्तकें पढ़ने हेतु कार्डो पर ही जारी की गई थी परन्तु पुस्तकों से समबन्धित रजिस्टर का रख–रखाव नही किया गया था। अतः अपेक्षित रजिस्टर का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में नियमित रूपसे उक्त रजिस्टर का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**16.** **(क) औचचारिक्ताओं को पूर्ण किए बिना राशि ₹1,15,748/–की पुस्तकों की खरीद करना** :–

हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली 2009 के नियम के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में ₹3,000/– से अधिक मूल्य के सामान की खरीद बिना कोटेशन के नहीं की जा सकती परन्तु महाविद्यालस द्वारा उपरोक्त नियम के विपरीत ₹1,15,748/– की किताबों की खरीद बिना कोटेशन आमन्त्रित किये मिश्रित निधि से वाऊचर संख्याः 131, माह 12/2013 के अन्तर्गत निम्नानुसार की गई है।

| बिल सं0 | भुगतान की राशि | फर्म का नाम |
|---|---|---|
| 1401 से 1418 | ₹91,404/– | मैं0 हिमाचल उद्योग सरकाघाट |
| 1457 से 1459 | ₹16,099/– | –यथोपरि– |
| 1479 | ₹8,245/– | –यथोपरि– |
| **कुल राशि** | **₹1,15,748/–** | |

अतः नियमों की अवहेलना करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व उक्त व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य में किताबों की खरीद से सम्बन्धित निम्न अभिलेख व प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया करें।

(1) खरीदी गई किताबों से सम्बन्धित (Price Catalogue) मूल्य सूची

(2) किताबों की खरीद से सम्बन्धित निविदायें कि विभिन्न फर्मों द्वारा किताबों की मूल्य सूची के उपर कितनी छूट (Discount) दी गई है।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त खरीद कमेटी (Purchase Committee) द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाना सुनिश्चित करें कि खरीदी गई पुस्तकें "Obsolete title" पुराने संस्करण की नहीं है।

**(ख) औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना बास्केट बॉल पिच का निर्माण हेतु राशि ₹13,500/– का भुगतान करना :–**

वाऊचर संख्याः 220, दिनांक 03.12.2012 की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा मिश्रित निधि से राशि ₹13,500/– का भुगतान औपचारिक्ताओं को पूर्ण किए बिना किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

| व0 सं0 | दिनांक | फर्म का नाम | बिल नं0 व दिनांक | राशि (₹) | कार्य/टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 03.12.12 | अजय जे0सी0बी0 ऑपरेटर सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) | 103<br>08.11.12 | 13,500/– (₹900 x 15 घण्टे कार्य) | म्हाविद्यालय में बास्केट बॉल पिच का निर्माण कार्य करना। |

अतः नियमों की अवहेलना करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उक्त व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य में भी नियमों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाये।

**17. विविध :–**

महाविद्यालय द्वारा पुरानी अखबारों की रद्दी की बिक्री अवधि 01.08.2013 के उपरान्त नहीं की है। अतः अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर रद्दी की बिक्री से प्राप्त आय को समिश्रित निधि में जमा करवा कर अनुपालना से अगामी अंकेक्षण पर अवगत करवायें।

**18. लघु आपत्ति विवरणी :–**यह अलग से जारी नहीं की गई है।

**19. सारांश :–**लेखों में लगातार सुधार की आवश्यकता है।

**हस्ता/–**
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)11(11)246/88–4802–4801दिनाकः19.08.2015 शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को प्रेषित करें।

2. प्रधान सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश शिमला–171002

3.निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171001

**हस्ता/–**
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

**(परिशिष्ट–"I")**

**(पैरा संख्याः 1(ग) से सन्दर्भित)**

राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट, जिला मण्डी के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति।

**(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/85 से 03/89**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | पैरा 4(i) | अनिर्णीत |
| (2) | पैरा 4(ii) | अनिर्णीत |
| (3) | पैरा 4(iii) | अनिर्णीत |
| (4) | पैरा 4(iv) | अनिर्णीत |
| (5) | पैरा 4(v) | अनिर्णीत |
| (6) | पैरा 4(vi) | अनिर्णीत |
| (7) | पैरा 4(vii) | अनिर्णीत |
| (8) | पैरा 4(9 से 12) | अनिर्णीत |
| (9) | पैरा 5(iv ii) | अनिर्णीत |
| (10) | पैरा 6(1 से 3) | निर्णीत। प्रस्तुत उतर के अधार पर पैरा निर्णीत |

**(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/89 से 03/90**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | पैरा 4 | अनिर्णीत |
| (2) | पैरा 5 | अनिर्णीत |
| (3) | पैरा 6(ए) | अनिर्णीत |
| (4) | पैरा 6(डी, जी) | अनिर्णीत |
| (5) | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| (6) | पैरा 8(ए से डी) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| (7) | पैरा 9(सी, डी) | अनिर्णीत |

**(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/90 से 03/92**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | पैरा 4(क) | अनिर्णीत |
| (2) | पैरा 4(ख) | अनिर्णीत |
| (3) | पैरा 5(क) | अनिर्णीत |
| (4) | पैरा 5(ख) | अनिर्णीत |
| (5) | पैरा 5(घ) | अनिर्णीत |
| (6) | पैरा 5(ड़) | अनिर्णीत |
| (7) | पैरा 5(च) | अनिर्णीत |
| (8) | पैरा 5(च)(1, 2) | अनिर्णीत |
| (9) | पैरा 6(क) | अनिर्णीत |
| (10) | पैरा 6(ख) | अनिर्णीत |
| (11) | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| (12) | पैरा 8(1, 2) | अनिर्णीत |
| (13) | पैरा 9(क) | अनिर्णीत |
| (14) | पैरा 9(ख) | अनिर्णीत |
| (15) | पैरा 9(घ) | अनिर्णीत |
| (16) | पैरा 9(ड़) | अनिर्णीत |

**(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/92 से 03/96**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | पैरा 4(क) | अनिर्णीत |
| (2) | पैरा 4(ख)(1,2,3) | अनिर्णीत |
| (3) | पैरा 4(ग) | अनिर्णीत |
| (4) | पैरा 4(घ) | अनिर्णीत |
| (5) | पैरा 4(च)(1,2,3) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| (6) | पैरा 4(छ) | अनिर्णीत |
| (7) | पैरा 4(ज) | अनिर्णीत |
| (8) | पैरा 4(झ) | अनिर्णीत |
| (9) | पैरा 4(ञ) | अनिर्णीत |
| (10) | पैरा 4(ट) | अनिर्णीत |
| (11) | पैरा 4(ठ) | अनिर्णीत |
| (12) | पैरा 4(ढ़) | अनिर्णीत |
| (13) | पैरा 4(ण) | अनिर्णीत |
| (14) | पैरा 4(त) | अनिर्णीत |
| (15) | पैरा 4(थ) | अनिर्णीत |
| (16) | पैरा 4(द) | अनिर्णीत |
| (17) | पैरा 4(घ)(1,2) | अनिर्णीत |
| (18) | पैरा 7(क) | अनिर्णीत |
| (19) | पैरा 7(ख) | अनिर्णीत |
| (20) | पैरा 8(ख) | अनिर्णीत |
| (21) | पैरा 8(ग) | अनिर्णीत |
| (22) | पैरा 8(घ) | अनिर्णीत |
| (23) | पैरा 9(क) | अनिर्णीत |
| (24) | पैरा 9(ख) | अनिर्णीत |
| (25) | पैरा 9(ग) | अनिर्णीत |
| (26) | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| (27) | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| (28) | पैरा 12 | अंशतः निर्णीत |
| (29) | पैरा 13(क) | अनिर्णीत |
| (30) | पैरा 13(ख) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| (31) | पैरा 13(ग) | अनिर्णीत |
| (32) | पैरा 13(घ) | अनिर्णीत |
| (33) | पैरा 15(क) | अनिर्णीत |
| (34) | पैरा 15(ख) | अनिर्णीत |
| (35) | पैरा 15(ग) | अनिर्णीत |
| (36) | पैरा 15(घ) | अनिर्णीत |
| (37) | पैरा 15(ड़) | अनिर्णीत |
| (38) | पैरा 16(ख) | अनिर्णीत |
| (39 | पैरा 16(ग) | अनिर्णीत |

**(ड़) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/96 से 03/99**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | पैरा 4(क) | अनिर्णीत |
| (2) | पैरा 6(ख) | अंशतः निर्णीत |
| (3) | पैरा 6(ग) | अनिर्णीत |
| (4) | पैरा 6(ड़) | अनिर्णीत |
| (5) | पैरा 6(च) | अनिर्णीत |
| (6) | पैरा 6(छ) | अनिर्णीत |
| (7) | पैरा 6(ज) | अनिर्णीत |
| (8) | पैरा 7(क) | अनिर्णीत |
| (9) | पैरा 7(घ) | अनिर्णीत |

**(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/99 से 03/2000**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | पैरा 4 | अनिर्णीत |
| (2) | पैरा 5(1,2) | अनिर्णीत |
| (3) | पैरा 6(क) | अनिर्णीत |
| (4) | पैरा 6(ग) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| (5) | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| (6) | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| (7) | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| (8) | पैरा 11(क) | अनिर्णीत |
| (9) | पैरा 11(ख) | अनिर्णीत |
| (10) | पैरा 12(1,2) | अनिर्णीत |

**(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2000 से 03/2002**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | पैरा 4(ख)(1 से 3) | अनिर्णीत |
| (2) | पैरा 5 | अनिर्णीत |
| (3) | पैरा 6 | अनिर्णीत |
| (4) | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| (5) | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| (6) | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| (7) | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| (8) | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| (9) | पैरा 12 | अनिर्णीत |

**(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2002 से 03/2006**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| (2) | पैरा 8(1 से 3) | अनिर्णीत |
| (3) | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| (4) | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| (5) | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| (6) | पैरा 12 | अनिर्णीत |
| (7) | पैरा 13 | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| (8) | पैरा 17 | अनिर्णीत |
| (9) | पैरा 19 | अनिर्णीत |
| (10) | पैरा 20 | अनिर्णीत |
| (11) | पैरा 21 | अनिर्णीत |
| (12) | पैरा 22 | अनिर्णीत |
| (13) | पैरा 23 | अनिर्णीत |
| (14) | पैरा 24 | अनिर्णीत |
| (15) | पैरा 26 | अनिर्णीत |

## (झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 03/2012 तक

| | | |
|---|---|---|
| (1) | पैरा 3 | निर्णीत (₹42,000/– अंकेक्षण शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट सं0 613151, दिनांक 18.03.13 के अन्तर्गत जमा करवा दी गई है) |
| (2) | पैरा 4(घ) | निर्णीत (ब्याज की राशि माह 10/2013 में रोकड़ बही में जमा दर्शा दी गई है।) |
| (3) | पैरा 4(घ) परिशिष्ट–''ई'' | निर्णीत |
| (4) | पैरा 4(ड़)(i,ii,iii) | निर्णीत |
| (5) | पैरा 4(ड़)(iv) | अनिर्णीत |
| (6) | पैरा 5(क,ख,ग,घ,ड़) | निर्णीत |
| (7) | पैरा 5(च) | निर्णीत |
| (8) | पैरा 5(छ) | निर्णीत |
| (9) | पैरा 5 6(क) | पैरा अपडेटिड |
| (10) | पैरा 6(ख) | निर्णीत |
| (11) | पैरा 6(ग) | निर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| (12) | पैरा 6(घ) | अनिर्णीत |
| (13) | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| (14) | पैरा 8(क) | अंशतः निर्णीत (मामले की विभागीय जाँच चल रही **है**।) |
| (15) | पैरा 8(ख) | अनिर्णीत |
| (16) | पैरा 8(ग) | अनिर्णीत |
| (17) | पैरा 8(घ) | अनिर्णीत |
| (18) | पैरा 8(ड़) | अनिर्णीत |
| (19) | पैरा 8(च) | अनिर्णीत |
| (20) | पैरा 8(छ) | अनिर्णीत |
| (21) | पैरा 8(ज) | अनिर्णीत |
| (22) | पैरा 8(झ) | अनिर्णीत |
| (23) | पैरा 9(क) | निर्णीत |
| (24) | पैरा 9(ख) | अनिर्णीत |
| (25) | पैरा 9(ग) | अनिर्णीत |
| (26) | पैरा 9(घ) | अनिर्णीत |
| (27) | पैरा 9(ड़) | अनिर्णीत |
| (28) | पैरा 9(च) | अनिर्णीत |
| (29) | पैरा 9(छ) | निर्णीत (₹3000/– रसीद सं0 2684, दिनांक 27.02.2012 द्वारा समिश्रित निधि में जमा करवा दिये गये हैं।) |
| (30) | पैरा 9(ज) | अनिर्णीत |
| (31) | पैरा 9(झ) | अनिर्णीत |
| (32) | पैरा 9(ञ) | निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर व अभिलेख का सही अनुरक्षण कर लिया गया है।) |

| | | |
|---|---|---|
| (33) | पैरा 9(ट) | अनिर्णीत |
| (34) | पैरा 9(ठ) | अनिर्णीत |
| (35) | पैरा 9(ड) | निर्णीत (टी0ए0 चैक रजिस्टर का अनुरक्षण किया गया है।) |
| (36) | पैरा 10(क) | निर्णीत (दण्ड ब्याज की वसूली कर ली गई है जिसकी सत्यापना इस अंकेक्षण में कर ली गई है।) |
| (37) | पैरा 10(ख) | अनिर्णीत |
| (38) | पैरा 11 | निर्णीत |
| (39) | पैरा 12 | अनिर्णीत |